संख्या–147/XVI-2/10/7(6)/2010

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम विकास विभाग,
प्रेमनगर देहरादून।

उद्यान एवं रेशम अनुभागः–2

देहरादूनः दिनांक 25 मार्च, 2010

विषयः–वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय व्ययक के अनुदान संख्या–29 के आयोजनागत पक्ष की 0705–केन्द्र पोषित कैटेलिटिक योजना के अन्तर्गत अवशेष/पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2751/रेशम/बजट/2010–11 दिनांक 28 फरवरी, 2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में विभागीय अनुदान संख्या–29 के आयोजनागत पक्ष की राज्य सैक्टर की योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्र पोषित कैटेलिटिक योजना हेतु अवशेष धनराशि ₹11 00 लाख (₹ ग्याहर लाख मात्र) तथा केन्द्रपोषित कैटेलिटिक योजना में राज्यांश की प्रतिपूर्ति हेतु रेशम विभागान्तर्गत आयोजनागत पक्ष में उपलब्ध बचतों में से संलग्न बी0एम0–15 के अनुसार रू0–28.54 लाख का पुनर्विनियोग करते हुए इस प्रकार कुल ₹39.54 लाख (रू0 उन्नतालीस लाख चौवन हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तानुसार व्यय हेतु आपके निर्वतन/आवंटन में रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(2) उक्त व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1,उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–187 /XXVII(1)/2010, दिनांक–30 मार्च, 2010 एवं पत्र संख्या–275/XXVII(1)/ 2010, दिनांक–25 मई, 2010 में दिये गये दिशा–निर्देशों तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार कय प्रकिया (स्टोर्स पर्चेस रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिष्पादन नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 आय व्यय सम्बन्धी नियम शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग त्रैमास के आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जाय, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

(5) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

(7) व्यय की सूचना प्रपत्र बी0 एम0–13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण/व्यय एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(8) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि विभाग के नियंत्रणाधीन सम्बन्धित आहरण–वितरण अधिकारी को तात्कालिकता से अवमुक्त कर दी जाय, ताकि फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

(9) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2401 फसल कृषि कर्म–आयोजनागत 119–बागवानी और सब्जियों की फसलें, 07–शहतूत की खेती एवं रेशम विकास, 0705–केन्द्र पोषित कैटेलिटिक योजना, 20–सहयक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा तथा ₹28.54 लाख की धनराशि पुनर्विनियोग संलग्न **बी0एम0–15 के कॉलम–01** में उपलब्ध बचतों से वहन किया जायेगा।

(10) यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–452(P)/वित्त अनु0–4/2011 दिनांक–24 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या–147(1)/XVI-2/11/ 7 (6)/2010 तददिनांकः

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड,ओबराय मोटर्स बिल्डिग, माजरा,देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी देहरादून, नैनीताल, चमोली एवं अल्मोडा।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून, हल्द्वानी–नैनीताल, चमोली एवं अल्मोडा।
5. वित्त अनुभाग–4,उत्तराखण्ड शासन।
6. बजट राजकोषीय,नियोजन एवं संसाधन निदेशालय,उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(के0पी0 पाटनी)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या–147/XVI-2/11/7 (6)/2010 दिनांकः 25 मार्च 2011 का संलग्नक। बी0एम0–15 पुनर्विनियोग विवरण पत्र (2010–11)

नियंत्रक अधिकारी– निदेशक, रेशम विकास विभाग, उत्तराखण्ड,
प्रशासकीय विभाग–उद्यान एवं रेशम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

अनुदान सख्या–29 (आयोजनागत से आयोजनागत)

(धनराशि हजार रु में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मद्वार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि हेतु अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखाशीर्षक जिनमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है।	पुनर्विनियोग के उपरान्त स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के उपरान्त स्तम्भ–1 में अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
2401–फसल कृषि कर्म				2401–फसल कृषि कर्म			(क) आवश्यक प्राविधानित न होने के कारण अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है। (ख) आवश्यकता से अधिक प्राविधान होने के कारण बचत उपलब्ध है।
119–बागवानी एवं सब्जियों की फसलें				119–बागवानी एवं सब्जियों की फसलें			
07–शहतूत की खेती एवं रेशम विकास				07–शहतूत की खेती एवं रेशम विकास			
0712–उत्तराखण्ड सहकारी रेशम फेडरेशन का सुदृढीकरण				0705–केन्द्रपोषित कैटेलिक योजना (90प्रतिशत के0पो0)			
20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता –1800	600	–	1200	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता– 2854	5154	600	
26–मशीने और सज्जा/उपकरण और संयत्र –1200	300	–	900			600	
42–अन्य व्यय –1200	300	146	754			446	
योग– 4200	1150	146	(क) 2854	(ख) 2854	5154	1646	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुनर्विनियोजन में बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155,156 में उल्लिखित प्रतिबन्धों एवं सीमाओं का उल्लंघन नही होता है।

(के0पी0पाटनी)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त व्यय अनुभाग
संख्या–452(P)/ वित्त अनु0–4/2011
देहरादूनः दिनांकः 24 मार्च 2011

पुनर्विनियोजन स्वीकृत

(पी0 एस0 जंगपांगी)
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी)
ओबरॉय बिल्डिंग,
माजरा सहारनपुर रोड़, देहरादून।

संख्या–147 (1)/XVI-2/11/7 (6)/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(के0पी0पाटनी)